न्यायालय उप जिलाधिकारी, महावन(मथुरा)
वाद संख्या ०१ /2011–12
प्रतापसिंह बनाम ग्राम सभा
अन्तर्गत धारा– 161 ज.वि.एवंभू.व्य.अधि.
मौजा–नगला सदौला तहसील मथुरा ।

नकल आदेश

उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 161 के अन्तर्गत प्रार्थी प्रताप सिंह पुत्र मौहर सिंह निवासी मोतीकुन्ज एक्सटेंशन कालौनी मथुरा द्वारा उप जिलाधिकारी मथुरा के न्यायालय मे प्रतापसिंह बनाम ग्राम सभा अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति मौजा नगला सदोला को पक्ष बनाकर दायर किया गया । उपरोक्त वाद पत्र मे प्रार्थी/वादी द्वारा मुख्य रूप से उल्लेख किया है कि ग्राम नगला सदौला स्थित खतौनी खाता संख्या 118 खसरा संख्या 253 रकवा 0.372 है0 व खाता संख्या 116 खसरा संख्या 254 रकवा 0.360 है0 का संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है तथा मौके पर काविज व दखील है । यह कि ग्राम नगला सदौला स्थित ग्राम सभा भूमि खसरा संख्या 121मि. रकवा 0.345 है0 व ख.स. 198 रकवा 0.028 है. कुल रकवा 0.373 है. बंजर दर्ज कागजात है । उक्त भूमि के आस–पास के काफी बड़े भाग पर एस.जे.पी. ग्लोवल लिमिटेड कम्पनी द्वारा निकट भविष्य मे आवासीय कालौनी विकसित हेतु प्रस्तावित है । प्रार्थी/वादी उक्त कम्पनी मे साझीदार है तथा ग्राम सभा की भूमि कम्पनी हेतु प्रस्तावित भूमि की वाउन्ड्रीवाल करने पर उसके अन्दर आने के फलस्वरूप वादी प्रतिवादी के मध्य विनिमय होना आवश्यक है । यह कि उक्त विनिमय हेतु वादी एवं प्रतिवादी(भू.प्र.समिति) की पारस्पारिक सहमति के आधार पर विनिमय स्वीकार किया जावे । उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार मथुरा से कराई गई । तहसीलदार मथुरा ने अपनी जाच आख्या दिनांकित 22.7.2011 मे कहा है कि संदर्भित विनमय के सम्बंध मे भू.प्र.समिति की बैठक दिनांक 5.6.2011 के अन्तर्गत सर्वसम्मति से वादी एवं प्रतिवादी की पारस्परिक सहमति के आधार पर किया गया है । यह कि प्रस्तावित विनिमय की आवश्यकता इसलिए हुई है कि वादी की साझेदारी मे एस.जे.पी. ग्लोवल लि. कम्पनी के द्वारा ग्राम सदौला तथा ग्राम सतौहा असमरपुर की भूमि को मिलाकर काफी बडे भू–भाग मे आवासीय कालौनी विकसित हेतु प्रस्तावित है । यह कि प्रस्तावित विनमय मे वादी –प्रतिवादी की भूमि मे किस्म जमीन के अनुसार मालियत का अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक का नही है तथा विनिमय स्वीकार उपरान्त ग्राम सभा को रकवा 0.373 है0 के स्थान रकवा 0.417 है0 रकवा प्राप्त होगा । अन्त मे उक्त विनमय को स्वीकार करने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है । प्रार्थी प्रतापसिंह द्वारा एक स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र न्यायालय कलक्टर मथुरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उपरोक्त वाद पत्राबली मे न्यायालय कलक्टर मथुरा टी.ए. संख्या 165/2010–11 प्रतापसिंह बनाम ग्राम सभा मे पारित जिलाधिकारी मथुरा के आदेश दिनाक 22.9.2011 द्वारा उक्त पत्राबली को उप जिलाधिकारी मथुरा के न्यायालय मे स्थानान्तरित कर इस न्यायालय मे विधिवत निस्तारण हेतु स्थानान्तरित किया गया । उपरोक्त प्रार्थीगण भुवनेश पुत्र वच्चू सिंह व अन्य के द्वारा दिनांक 29.8.2011 को आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसमे उल्लेख किया है कि वादी द्वारा जो प्रार्थना पत्र गाव सभा की भूमि की विनमय कराने हेतु दिया है वह अबैध है क्योकि जिस जमीन का विनमय कहा गया है वह जमीन धारा 132 की है जिसका विनमय नियमानुसार नही किया जा सकता है । यह कि ग्राम प्रधान ने वादी से सांठ गाठ करके और जबरदस्ती गाव सभा की चकमार्ग व नाली के विनमय का प्रस्ताव कर दिया है जो कि गलत है । अन्त मे यह भी उल्लेख किया है कि जिलाधिकारी महोदय की अनुमति मिलने पर विस्तृत आपत्ति दाखिल की जावेगी । उपरोक्त विनमय के सम्बंध मे क्षेत्रीय लेखपाल श्री जगन्नाथ भारद्वाज क्षेत्र सतौहा को तलव कर उसका मौखिक कथन अंकित किया गया । श्री जगन्नाथ भारद्वाज मे अपने बयान दिनांक 12.10.2011 मे कहा है कि उक्त पत्राबली मे दिनांक 29.7.2011 को परगनाधिकारी मथुरा के न्यायालय मे मेरा बयान हुआ था, इस बयान की मै पुनः पुष्टि करता हूँ । पहला बयान पत्राबली मे पेपर नं. 5 अ/1 पर

संलग्न है । विनमय की जाने वाली भूमि खसरा संख्या 121मि. व खसरा संख्या 198 कागजात माल मे बंजर भूमि दर्ज है । विनमय की जाने वाली भूमि पोखर अथवा जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 132 मे निहित भूमि नहीं है । उक्त विनमय का प्रस्ताव भू.प्र.समिति सतोहा असगरपुर द्वारा दिनाक 5.6.2011 को पारित किया गया है जिसकी पुष्टि मे प्रधान, बी.डी.सी. द्वारा अपना बयान भी अंकित कराया है जिन्हे मै पहचानता हूँ । प्रधान का बयान पत्रावली मे पेपर नम्बर 5अ/2 पर है । कार्यालय जिलाधिकारी मथुरा के अनुमति पत्र संख्या 362/सात–बी/भू.व्य./2011 दिनाक 15 अक्टूबर, 2011 द्वारा प्रार्थी भुवनेश पुत्र बच्चू सिंह निवासी सतौहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा के प्रार्थना पत्र दिनांक 1.10.2011 के द्वारा न्यायालय उप जिलाधिकारी महावन मे विचाराधीन वाद संख्या 31/2011–12 प्रतापसिह बनाम सरकार की धारा 161 ज.वि.अधित्र मौजा सतौहा मे भुवनेश को स्वंय के खर्चे पर निजी अधिबक्ता नियुक्त करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि निजी अधिवक्ता शासकीय अधिबक्ता के साथ मिलकर पैरवी करेगे और गांव सभा के हितो के विरूद्व कोई समझौता नही करेगे तथा इस पैरवी के व्यय का भुगतान गांव सभा कोष से नही किया जायेगा । श्री भुवनेश के अधिबक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनाक 18.10.2011 को न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिसमे उल्लेख किया है कि उपरोक्त वाद मे विस्तृत आपत्ति दाखिल करने हेतु समय प्रदान किया जावे जिस पर न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि विस्तृत आपत्ति दाखिल करने हेतु दिनाक 2.11.2011 नियत की जाती है । प्रार्थी भुवनेश मय अधिबक्ता द्वारा दिनांक 2.11.2011 को आपत्ति प्रस्तुत की गई जिस पर वादी के अधिबक्ता द्वारा प्रति आपत्ति प्रस्तुत की गई एव आपत्ति पर यह अंकित किया गया कि आपत्ति वेग एवं सारहीन है कोई भी धारा 132 की भूमि विनमय मे नही है । आपत्ति मे यह अस्पष्ट है कि कौन सा चकमार्ग विनमय किया गया है । विनमय केवल बंजर भूमि का है आपत्ति निरस्त की जावें । इसी क्रम मे एक प्रार्थनपा पत्र हरी सिंह पुत्र थानसिंह निवासी असगरपुर सतौहा के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमे आपत्ति दाखिल करने हेतु तिथि की याचना की गई है । उक्त प्रार्थना पत्र पर वादी के अधिबक्ता द्वारा आपत्ति के रूप मे यह अंकित किया गया कि हरी सिंह वाद मे पक्ष नही है और न ही इनकी कोई भूमि है प्रार्थना पत्र मात्र पेशकसी मे दिया गया है।

आपत्ति भुवनेश दिनांकित 2.11.2011 एवं प्रार्थना पत्र हरीसिंह दिनांकित 2.11.2011 पर उभयपक्षो के विद्वान अधिबक्ता के तर्को को ध्यान पूर्वक सुना तथा उभय पक्षो के विद्वान अधिबक्ताओं की बहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार मथुरा की जॉच रिपोर्ट 22.7.11 एव समस्त कागजात का भली भांति अनुशीलन एवं परिशीलन किया गया । अनुशीलन एवं परिशीलन तथा उभयपक्षो के अधिबक्ताओ की बहस सुनने के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रार्थी प्रताप सिंह अपनी निजी भूमि खाता संख्या 118 खसरा संख्या 253 रकवा 0.372 है0 व खाता संख्या 116 खसरा संख्या 254 रकवा 0.360 है0 का विनमय ग्राम सभा की भूमि खसरा संख्या 121मि. रकवा 0.345 है0 व ख.स. 198 रकवा 0.028 है. कुल रकवा 0.373 है. बंजर दर्ज कागजात है से विनिमय कराना चाहता है । उक्त विनमय भू.प्र.समिति सतौहा, असगरपुर के प्रस्ताव दिनांकित 5.6.2011 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर वादी एवं प्रतिवादी की पारस्परिक सहमति के आधार पर किया गया है । क्षैत्रीय लेखपाल ने अपने बयान मे भी उल्लेख किया है कि विनमय की जाने वाली भूमि खसरा संख्या 121मि. व खसरा संख्या 198 कागजात माल मे बंजर भूमि दर्ज है । विनमय की जाने वाली भूमि पोखर अथवा जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 132 मे निहित भूमि नही है जबकि आपत्तिकर्ता ने अपनी आपत्ति मे कहा है कि विनमय ग्राम सभा की भूमि चकरोड, नाली, गूल, धारा 132 की भूमि से किया जा रहा है । अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी हरीसिंह मात्र वाद की कार्यवाही को एक लम्बी अबधि तक विचाराधीन रखने के उद्देश्य से आपत्ति दी है जो कि बलहीन एवं सारहीन है तदनुसार आपत्ति दिनांकित 2.11.2011 निरस्त की जाती है । प्रार्थी हरी सिंह पुत्र बच्चू सिंह का प्रार्थना पत्र दिनांकित 2.11.2011 जो कि अग्रिम तिथि नियत करने के सम्बंध मे दिया है । इस सम्बंध मे कहना है कि श्री हरी सिंह को ग्राम सभा की ओर से कोई भी कानून अधिकार प्राप्त नही है जिससे श्री हरी सिंह ग्राम सभा की

ओर से पैरवी कर सके । श्री हरी सिंह का प्रार्थना पत्र इसी क्रम मे निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मथुरा की जॉच रिपोर्ट दिनांकित 22.7.2011 के आधार पर मौजा नगला सदौला के खाता संख्या 118 खसरा संख्या 253 रकबा 0.372 हे0 व खाता संख्या 116 खसरा संख्या 254 रकवा 0.360 हे0 व खसरा संख्या 121मि रकबा 0.345 व खसरा संख्या 198 रकवा 0.373 बंजर भूमि से पारस्परिक विनमय स्वीकार किया जाता है । उक्त आदेश तहसीलदार मथुरा की रिपोर्ट दिनांकित 22.7.2011 का अंश रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार मथुरा को राजस्व अभिलेखो मे दर्ज करने हेतु भेजी जावें । वाद आवश्यक कार्यवाही पत्राबली दाखिल दफतर की जावे ।

(धर्मेन्द्र सिंह)
उप जिलाधिकारी
महावन

आज यह आदेश खुले न्यायालय में सभी के समक्ष हस्ताक्षरित / दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

(धर्मेन्द्र सिंह)
उप जिलाधिकारी
महावन

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला मजिस्ट्रेट
महावन, मथुरा

154
[illegible] संख्या
[illegible] नाम संजय शर्मा
[illegible] 13/8
[illegible] का दिनांक 5.11.11
नकल [illegible] का दिनांक 5.11.11
नकल [illegible] का दिनांक 5.11.11
[illegible] 5.11.2011
पेशकार
उप जिला मजिस्ट्रेट
महावन ।